अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई मुकाम–बांदीकुई
जज इजलास– नीतू करोल आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट–टेक) बांदीकुई
उनवान– गुडडी बनाम मोहन सिंह वगै.
दावा बाबत– तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 03/2017 न्यायालय में दर्ज संख्या 17/2024

आदेश है कि वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम नांगवास पटवार हल्का बडियाल खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 98 पुरानी 11 का खसरा नम्बर 300 रकबा 0.20 खसरा नम्बर 301 रकबा 0.14 है. खसरा नम्बर 302 रकबा 0.17 है. खसरा नम्बर 303 रकबा 0.18 है. खसरा नम्बर 304 रकबा 0.02 है. कुल किता 5 कुल रकबा 0.71 है. मे तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करे।

निज.....मुबलिग.....बाबत्.....
.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।

(नीतू करोल)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
बांदीकुई

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत.....
ओहदा.....
सहायक कलेक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

मु0न0 03/2017
न्यायालय में दर्ज संख्या 17/2024
दर्ज दिनांक 12.08.2024
निर्णय दिनांक 15.09.2025

उनवान

1. गुड्डी देवी पत्नि रूड सिंह
2. करण सिंह पुत्र रूड सिंह

} जाति राजपूत निवासी नांगवास तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र बाग सिंह
2. सोहन सिंह पुत्र बाग सिंह
3. जयपाल सिंह पुत्र बाग सिंह
4. महिपाल सिंह पुत्र बाग सिंह

} समस्त जाति राजपूत निवासी निवासी नांगवास तहसील बसवा जिला दौसा

5. सदा कंवर पुत्री बाग सिंह पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी नांगवास तह. बसवा हाल निवासी–पीपाजी की ढाणी कोटपूतली जिला जयपुर
6. सुमन पुत्री बाग सिंह पत्नि नानग सिंह जाति राजपूत निवासी नांगवास तह. बसवा हाल निवासी पीपाजी की ढाणी कोटपूतली जिला जयपुर
7. लाली पुत्री बाग सिंह पत्नि उत्तम सिंह जाति राजपूत निवासी नांगवास तहसील बसवा हाल निवासी भेडोली तहसील दौसा जिला दौसा
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बसवा
9. उपपंजीयन अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय बांदीकुई

उपस्थित : वादी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सैनी एडवोकेट
प्रतिवादी अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह एडवोकेट

दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक15.09.2025

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जर्ये वकील न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुआ जिसका संक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार है। ग्राम नांगवास पटवार हल्का बडियाल खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 98 पुरानी 11 का खसरा नम्बर 300 रकबा 0.20 खसरा नम्बर 301 रकबा 0.14 है. खसरा नम्बर 302 रकबा 0.17 है. खसरा नम्बर 303 रकबा 0.18 है. खसरा नम्बर 304 रकबा 0.02 है. कुल किता 5 कुल रकबा 0.71 है. दावा तकास्मा एवं स्थायी का पेश किया गया था। जिसमें दिनांक 10.06.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की तहसीलदार से कुर्रेजात चाहे गये थे। तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.12.2023, 31.07.2024 को कुर्रेजात भिजवाये गये थे। उक्त कुर्रेजात पर आपत्ति पेश होने पर उक्त कुर्रेजात न्यायालय द्वारा खारिज किये जाकर प्रकरण में पुनः कुर्रेजात भिजवाने हेतु तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये गये थे। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रकरण में पत्रांक 3152 दिनांक 20.06.2025 को

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

कुर्रेजात पेश किये गये है। उक्त कुर्रेजात पर प्रतिवादीगण द्वारा निम्न प्रकार आपत्ति पेश की गई है। प्रार्थना पत्र आपत्ति विरूद्ध कुर्रेजात दिनांक 11/06/2025 उक्त उनवानी प्रकरण में तारीख पेशी आज की नियत है। हस्तगत प्रकरण में कुर्रेजात विधि विरूद्ध तथा मौके के विपरीत कब्जे को अनदेखा कर फौरी तौर पर तैयार किये गये है जो निरस्त होने योग्य है। कथित कुर्रेजात मौके पर जाये बिना तथा कब्जे की जाँच किये बिना, आपत्तिकर्ता /प्रतिवादीगण को सूचित किये बिना उनकी अनुपस्थिति में वादी से मिली भगत कर तहसीलदार के मौके पर जाये बिना, तैयार कर प्रस्तुत किये है जो निरस्त होने योग्य है। कथित कुर्रेजात राजस्थान काश्तकारी (राजस्व बोर्ड नियम 1955) के नियम 18 लगायत 21 की अवहेलना कर अवैध रूप से तैयार किये गये है। जो निरस्त होने योग्य है। आपत्तिकर्ता /प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा एव साक्ष्य से यह साबित किया है कि भूमि वादग्रस्त के खसरा नम्बर 300 रकबा 0.20 हैक्टे व खसरा नम्बर 302 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि पर अर्सा 40 वर्ष पूर्व पूर्वजो द्वारा किये गये बाहमी बंटवारा के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है जो कि दावे में स्वीकृत तथ्य है। आपत्तिकर्तागण ने अपने हिस्से कब्जे की उक्त 2. वर्णित भूमि में लाखों रूपये की निजी लागत लगाकर व मेहनत से उपजाऊ बनाया है। विवादित भूमि के खसरा नम्बर 302 में आपत्तिकर्तागण के पुख्ता मकानात अर्सा 40 साल पूर्व से बने हुये है जिनमें रिहायश करते चले आ रहे है। खसरा नम्बर 301 रकबा 0.14 हैक्टे, खसरा नम्बर 303 रकबा 0.18 हैक्टे पर वादीगण बाहमी बंटवारा अर्सा 40 वर्ष पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। खसरा नम्बर 301 में वादीगण का पुख्ता मकान बना हुआ है जिस पर वो काबिज चले आ रहे है। खसरा नम्बर 301 के रकब में से 0.18 हैक्टेयर भूमि वादी करणसिंह कें दादा जी एंव गुड्डी देवी ससुर कानसिंह ने 0.18 हैक्टेयर भूमि को कल्याणसिंह, मोतीसिंह, हजारी सिंह वगैराह को जरिये पंजीकृत बयनामा विक्रय कर दी थी जिसका खसरा नम्बर 817/236 दर्ज हो चुका है। कथित कुर्रेजात वादी से मिली भगत कर, वादी को बेजा लाभ पहुँचाने व आपत्तिकर्तागण को बेजा हानी पहुँचाने की गरज से फौत तौर पर तैयार किये गये है। खसरा नम्बर 300 को वादीगण को कुर्रेजात में गलतं दिया है जबकि इस खसरा नम्बर 300 पर आपत्तिकर्तागण काबिज चले आ रहे है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 303 कुर्रेजात में आपत्तिकर्तागण को गलत दिया है जबकि इस खसरा नम्बर 303 पर वादीगण गुड्डी वगैराह काबिज चले आ रहे है। इस वादपत्र में विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 300 व 302 की भूमि आपत्तिकर्तागण को तथा खसरा नम्बर 301 व 303 की भूमि वादीगण को कानूनन दी जानी चाहिये थी। खसरा नम्बर 302 व 303 में जाने को कोई रास्ते की सुविधा भी कुर्रेजात में नहीं रखी गई है खसरा नम्बर 301 व 300 के उत्तर में रास्ता स्थित है इस प्रकार रास्ते से लगती हुई भूमि खसरा नम्बर 301 व 300 को गलत रूप से वादीगण को दे दिया गय गया है। इस प्रकार फौरी तौर पर वादीगण. से मिलकर कुर्रेजात विधि विरुद्ध तैयार कर प्रस्तुत किये है जो निरस्त होने योग्य है। खसरा नम्बर 301 के रकबे में से दिशा पूर्व की और कानसिंह द्वारा कुछ भूमि जिसको ऊपर दर्शित किया जा चुका है कल्याणसिंह वगैराह को विक्रय कर देने से खसरा नम्बर 301 का रकबा वर्तमान में कम हो गया है तथा रोड पर इस खसरा नम्बर की भूमि का फ्रन्ट रोड पर वर्तमान में कम दर्शित है। कथित कुर्रेजात तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये है तथा कथित कुर्रेजात वादी से मिलकर वादी को लाभ पहुँचाने की गरज से फौरी तौर पर गलत तैयार किये गये है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। कथित कुर्रेजात पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर होना तथा आपत्तिकर्तागण के हस्ताक्षर नहीं होना यह दर्शित करता है कि कथित कुर्रेजात

सहायक कलेक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फ़ास्ट ट्रेक) बांदीकुई

आपत्तिकर्तागण की अनुपस्थिति में उनको सूचित किये बिना मौके के विपरीत तैयार किये गये है। इसलिये भी कथित कुर्रेजात विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। प्रथम बार भेजे गये कुर्रेजात जिन्हें माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अस्वीकार किया जाकर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए कुर्रेजात पुनः भिजवाये जाने के आदेश फरमाये गये थे लेकिन तहसीलदार बांदीकुई ने माननीय न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना करते हुए पूर्व अनुसार ही बिना मौका देखे तथा आपत्तिकर्ता/प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना नैसर्गित सिद्वान्त का उल्लंघन करते हुए कथित कुर्रेजात दिनांक 11/06/2025 प्रस्तुत किये है जो खारिज फरमाये जाकर राजस्व बोर्ड नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 की पालना करते हुए कब्जे अनुसार कुर्रेजात पुनः तलब किया जाना जरूरी है। प्रश्नगत कुर्रेजात दिनांक 11/06/2025 से पूर्व भेजे गये कुर्रेजात दिनांक 31/07/2024 को न्यायालय हाजा द्वारा खारिज फरमा दिया गया था। प्रश्नगत कुर्रेजात दिनांक 11/06/2025 भी पूर्ववर्ती कुर्रेजात 31/07/2024 को ही दोहराते हुए तैयार किए गये है। इसलिए कुर्रेजात दिनांक 11/06/2025 का मौके के विपरीत नियम विरूद्ध होना स्पष्टतया साबित है लिहाजा कुर्रेजात दिनांक 11/06/2025 सरसरी तौर पर खारिज होने योग्य है। अतः आपत्ति मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर कथित कुर्रेजात दिनांक 11/06/2025, खारिज फरमाये जाकर कब्जे अनुसार रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुये कुर्रेजात नये सिरे से पुनः तलब किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

उक्त आपत्ति कुर्रेजात का जवाब वादी द्वारा निम्न प्रकार पेश किया गयाः– जवाब प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात दिनांक 11.06.2025 1. यह है है कि प्रार्थना पत्र का पैरा न. 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा न. 2 अस्वीकार है कुर्रेजात विधि अनुसार, कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। कुर्रेजात दिनांक 11/06/2025 न तो विधि–विरुद्ध है, न ही मौके के विपरीत। यह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व बोर्ड नियम), 1955 के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना में, तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर, कब्जा काश्त एवं रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एवं भूमि–गुणवता का परीक्षण कर निष्पक्ष रूप से कुर्रेजात तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये है। प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 3 अस्वीकार है क्योंकि आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण पक्ष एवं वादी पक्ष को तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर कुर्रेजात बनाने कि सूचना दिनांक 30/05/2025 विधिवत नोटिस जारी कर दे दी गई थी। श्रीमान तहसीलदार महोदय बांदीकुई ने स्वयं मौके पर दिनांक 11/06/2025 को उपस्थित होकर कब्जे काश्त व रास्ते को ध्यान में रखते हुये कुर्रेजात तैयार किये है। अतः आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण का यह कहना कि बिना मौके पर जाए तथा बिना सूचना दिए कुर्रेजात तैयार किये गये, पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। आपत्तिकर्तागण/ प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र केवल कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब करने हेतु लगाई गई है, इसलिये आपत्तिकर्तागण /प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र का पैरा न. 4 अस्वीकार है। कुर्रेजात राजस्थान काश्तकारी अधिनियस 1955 की धारा 18 लगायत 21 की पूर्ण पालना में बनाए गए हैं। इसलिये आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण का आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र का पैरा न 5 अस्वीकार है क्योंकि वादी और प्रतिवादी दोनो ने रूप से समान रूप से लागत लगाकर भूमि को उपजाऊ बनाया था। खसरा नंबर 302 पर प्रतिवादीगण का कब्जा व मकान होना स्वीकार है, और उसी प्रकार कुर्रेजात में सही रूप से प्रतिवादी को दिया गया है। तथा जिसे सलंग्न नक्शा रिपोर्ट में हरा रंग से दर्शित किया गया है।

Peetu

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट टैक) बांदीकुई

एवं खसरा नंबर 301 जिसका जमाबंदी में रकबा 0.14 हैक्टेयर है। आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण द्वारा इस आपति प्रार्थना पत्र में वादी का पुख्ता पक्का मकान बताना स्वीकार है। और उसी प्रकार कुर्रेजात में सही रूप से वादी को दिया गया है। जिसे संलग्न नक्शा रिपोर्ट में पीला रंग से दर्शित किया गया है। 40 साल पहले बाहमी बंटबारा की बात मनगढ़ंत, झूठी एवं भ्रामक है। आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण आज तक कोई भी पंजीकृत बंटवारानामा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये है। शेष कथन गलत, भ्रामक एवं असत्य है। आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण का यह कथन कि खसरा नंबर 300 पर भी उनका कब्जा है, स्वीकार नहीं है। उक्त भूमि वादीगण के हिस्से में आती है। जिसे तहसीलदार द्वारा संलग्न नक्शा रिपोर्ट में पीला रंग से वादी/प्रार्थी को दर्शित कर दिया गया है। इसी प्रकार, खसरा नंबर 303 को लेकर प्रतिवादी द्वारा वादीगण के कब्जे की बात मानना असत्य एवं अस्वीकार है। क्योंकि खसरा नंबर 303 पर भी खुद आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण ही काबिज हैं, और कुर्रेजात में यह सही दर्शाया गया है। तथा जिसे संलग्न नक्शा रिपोर्ट में हरा रंग से दर्शित कर आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण को दर्शित कर दिया गया है। प्रतिवादी द्वारा विक्रय पत्र (बयनामा/खसरा 817/236) सम्बन्धी कथन भी असत्य है। खसरा नंबर 301 रकबा 0.18 हैक्टेयर की ग्राम नागवास में कानसिंह के नाम पर ना तो कोई जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में उपलब्ध है, और ना ही पहले कभी राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 301 रकबा 0.18 हेक्टेयर की भूमि राजस्व रिकार्ड में करण सिंह के दादाजी एवं गुड्डी देवी के ससुर कानसिंह के नाम पर राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 301 रकबा 0.18 हैक्टेयर की जमाबंदी/राजस्व रिकार्ड पहले कभी नहीं था। खसरा नंबर 301 रकबा –0.18 हेक्टेयर का कान सिंह के नाम पर ग्राम नागवास में इस प्रकार का कोई दर्ज रिकार्ड कभी नही था। एवं आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष खसरा नंबर 301 रकबा 0.18 हैक्टेयर की प्रमाणित राजस्व जमाबंदी रिकार्ड ग्राम नांगवास की कानसिंह के नाम की माननीय न्यायालय के समक्ष आज तक भी पेश नहीं की है। खसरा नंबर 301 रकबा 0.18 हेक्टेयर की जमाबंदी कभी ग्राम नागवास में किसी सहखातेदार के नाम पर कभी राजस्व रिकार्ड में नहीं रहीं थी। प्रतिवादी द्वारा खसरा नंबर –301 रकबा 0.18 हैक्टेयर भूमि करण सिंह के दादा जी एवं गुड्डी करण सिंह देवी के ससुर द्वारा कल्याण सिंह, मोती सिंह, हजारी सिंह को बेचान करने की बात मनगढंत, झूठी एवं न्यायालय को गुमराह करने एवं न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए लगाई गई मिथ्या मनगढंत आपति है। तथा प्रतिवादी द्वारा पंजीकृत बयनामा विक्रय करने की बात भी मनगढंत, मिथ्या है। तथा खसरा नंबर 817 /236 का भी कोई राजस्व रिकार्ड मौजूद नहीं है। प्रतिवादीगण ना तो माननीय न्यायालय के समक्ष खसरा नंबर 301 रकबा 0.18 हेक्टेयर ग्राम नागवास कान सिंह के नाम का रिकार्ड पेश किया है और ना ही प्रतिवादीगण पंजीकृ त बयनामा विक्रय पत्र ग्राम नांगवास में कान सिंह के नाम का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है इससे स्पष्ट है कि अगर ऐसा कोई पंजीकृत बयानामा होता तो आपत्तिकर्तागण /प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष अवश्य पेश करते है लेकिन आपत्तिकर्तागण /प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है मात्र कोर्ट को गुमराह करने के लिये झूठे कथन किये गये है इसलिये आपत्तिकर्तागण /प्रतिवादीगण को आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा न. 6 अस्वीकार है क्योंकि प्रतिवादी का यह कथन कि कुर्रेजात वादीगण को लाभ पहुँचाने हेतु फौरी तौर पर तैयार किये गये हैं, पूरी तरह

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

मनगढंत कहानी बनाकर पेश किया है जबकि कुर्रेजात मौके की वास्तविक स्थिति के आधार पर ही तैयार किये गये हैं। प्रतिवादीगण का यह कहना कि खसरा नंबर 302 एवं 303 के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है, असत्य है। शेष कथन गलत एवं अस्वीकार है। खसरा नंबर 302 पश्चिम दिशा में तथा उससे सटा हुआ खसरा नंबर 303 पूर्व दिशा में स्थित है। खसरा नंबर 303 के पूर्व दिशा में खसरा नंबर 211 दर्ज है, जो ग्राम थला का बास, पटवार हल्का नारायणपुरा, तहसील बांदीकुई की सीमा में आता है। तथा यह खसरा नंबर 211 ग्राम – नागवास की खसरा नंबर 303 रकबा 0.18 हेक्टेयर की पूर्वी सीमा से लगते हुए है। खसरा नंबर 211 राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में गै.मु. रास्ता के रूप में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। तथा खसरा नंबर 211 पर मौके पर सड़क भी मौजूद है। एवं खसरा नंबर–211 की सड़क कई आस पास के गांवो नांगवास, थला का बास, इत्यादि को आसानी से रास्ता उपलब्ध कराती है। यह रास्ता मौके पर विद्यमान है और खसरा नंबर 303 की पूरी पूर्वी सीमा को कवर करते हुए आगे की ओर जाता है। इस प्रकार खसरा नंबर 303 के पूर्व दिशा में रास्ता मौजूद है इसलिये आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण के आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र का पैरा न 7 अस्वीकार है। क्योकि तहसीलदार महोदय बांदीकुई कुर्रेजात द्वारा मौके पर निरीक्षण कर कब्जे काश्त व सरस नरस के अनुसार कुर्रेजात तैयार किये गये थे। प्रार्थना पत्र का पैरा न. 8 अस्वीकार है। क्योंकि आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण ने स्वयं जानबूझकर कुर्रेजात पर हस्ताक्षर नही किये थे। क्यों कि आपत्तिकर्तागण / प्रतिवादीगण अपने अनुसार कुर्रेजात बनवाना चाहते हैं। लेकिन तहसीलदार महोदय बांदीकुई ने आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण के अनुसार एवं मनगढ़त जवाब दावा के आधार पर कुर्रेजात नही बनाए इसलिए आपत्तिकर्तागण/ प्रतिवादीगण ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर नही किये थे। तहसीलदार महोदय बांदीकुई ने कब्जे काश्त अनुसार ही कुर्रेजात तैयार कर श्रीमान के समक्ष पेश किये है। प्रार्थना पत्र पैरा नम्बर 9 का जवाब इस प्रकार है कि प्रतिवादी द्वारा लगाया गया यह आरोप कि तहसीलदार बांदीकुई ने न्यायालय आदेश की अवहेलना कर, बिना मौके का निरीक्षण किये एवं बिना आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिये कुर्रेजात तैयार किया यह आरोप असत्य एवं निराधार है। वास्तविक स्थिति यह है कि: तहसीलदार बांदीकुई ने प्रत्येक बार मौके पर जाकर कुर्रेजात तैयार किये हैं। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उक्त पत्रावली में तीनों बार (दिनांक 22/12/2023, 31/07/2024 तथा 11/06/2025) तैयार हुए कुर्रेजात एक समान इस कारण से आये क्योंकि कब्जे की वास्तविक स्थिति तीनों अवसरों पर समान रही। अतः जब कब्जा यथावत था तो कुर्रेजात रिपोर्ट भी स्वाभाविक रूप से समान होना ही था। यह कि कुर्रेजात दिनांक 31/07/2024 एवं 11/06/2025 में समानता इस कारण है कि मौके की वास्तविक स्थिति प्रत्येक अवसर पर एक जैसी ही थी। इसलिए श्रीमान के समक्ष बार बार कुर्रेजात रिपोर्ट भी समान आयी। यह कि श्रीमान तहसीलदार महोदय ने स्वयं मौके पर जाकर कब्जा, काश्त एवं रास्ता आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नगत कुर्रेजात दिनांक 11.06.2025 तैयार किये गये हैं। इसमें राजस्थान काश्तकारी एवं (राजस्व बोर्ड नियमावली 1955) के नियम 18 से 21 तक की पूर्ण पालना में बनाये गये है। इसलिये आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण का आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस आपत्ति कुर्रेजात सुनी गई। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के सम्बध में कोई साक्ष्य पेश नही किये गये है। जिससे यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार द्वारा

Reetu
सहायक कलेक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

कुर्रेजात मौके अनुसार बनाया जाना प्रतीत होता है। इसलिये आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक 3152 दिनांक 20.6.2025 के द्वारा कुर्रेजात पेश किये गये कुर्रेजात स्वीकार किये जाकर कुर्रेजात अनुसार दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान का कुर्रेजात अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

क्र.स	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	किस्म
1	करणसिंह पुत्र रूडसिंह हि0 1/2, गुड्डी देवी पत्नी रूडसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा0देह खातेदार	300 301 303/1	0.20 0.14 0.015	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1
		कुल किता 03	कुल रकबा 0.355 है0	
2	शकुन्तला देवी पत्नी बागसिंह हि0 पूर्ण समस्त जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	302 304 303/2	0.17 0.02 0.165	बारानी 1 गै0मु0रास्ता बारानी 1
		कुल किता 6	रकबा 0.355	

कुर्रेजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करे। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 15.09.2025 को लिखा व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। निर्णय सुनाया गया।

(नीतू करोल)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[ख] अहकाम जो [इस] हुक्म की ता[मील] में जारी हुए
	गुड्डी बनाम मोहन	
	8/9/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। जवाब आपत्ति कुर्कियात का पेश हुआ। वास्ते बहस 11/9/2025 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई 11/9/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। बहस दुतरफा आपत्ति कुर्कियात सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 15/9/25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई 15/9/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। आपत्ति कुर्कियात प्रार्थना स्वीकार किये जाकर कुर्कियात स्वीकार किये जाते हैं। बाद बाकी हस्तौल डिग्री स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध नियम आदेश से निस्तारित किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई	